बिहार विधान परिषद्

213 मॉनसून सत्र

तारांकित प्रश्न

23 जुलाई, 2026

[गृह - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - योजना एवं विकास - श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण - युवा रोजगार एवं कौशल विकास - वित्त विभाग - वाणिज्य कर - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - परिवहन - जल संसाधन - लघु जल संसाधन - समाज कल्याण - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण].

कुल प्रश्न - 28

जमीन निबंधन शुल्क

*56 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, **मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जमीन निबंधन शुल्क में वृद्धि का निर्णय

लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जमीन निबंधन शुल्क में वृद्धि अब तक की वृद्धि में सार्वाधिक है;

(ग) क्या यह सही है कि बिहार एक गरीब राज्य है एवं जमीन निबंधन शुल्क में वृद्धि का भारी बोझ यहां के आम जनमानस पर पड़ेगा;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जमीन निबंधन शुल्क की वर्तमान वृद्धि में संशोधन करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अवैध पार्किंग पर कार्रवाई

***57 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना स्थित पाटलिपुत्र जंक्शन पर प्रतिदिन उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से हजारों यात्री रेल यात्रा हेतु आते-जाते हैं;

(ख) क्या यह सही है कि पाटलिपुत्र जंक्शन के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप सरकारी बस पड़ाव, अधिकृत ऑटो एवं ई-रिक्शा स्टैंड तथा समुचित यातायात प्रबंधन के अभाव में निजी ऑटो एवं ई-रिक्शा चालक मनमाने ढंग से वाहन खड़े कर यात्रियों से मनमाना किराया वसूलते हैं और प्रतिदिन जाम की स्थिति बनी रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त अव्यवस्था के कारण मरीजों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, छात्र-छात्राओं तथा अन्य यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा रेलवे स्टेशन के बाहर यातायात व्यवस्था लगातार प्रभावित रहती है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पाटलिपुत्र जंक्शन के मुख्य प्रवेश द्वार के समीप सरकारी बस पड़ाव, अधिकृत ऑटो एवं ई-रिक्शा स्टैंड, प्री-पेड किराया प्रणाली, किराया सूची का अनिवार्य प्रदर्शन तथा अवैध पार्किंग एवं मनमानी वसूली पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सिंचाई एवं पेयजल की समस्या

***58 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मगध प्रमंडल के गया, जहानाबाद और अरवल जिले में भू -जल स्तर काफी नीचे चले जाने के कारण सिंचाई एवं पेयजल की गंभीर समस्या है;

(ख) क्या यह सही है कि इंद्रपुरी बराज (रोहतास) को मोरहर नदी (गया) से जोड़ दिया जाए तो इन इलाकों में सिंचाई के लिए जल एवं पेयजल के लिए भी काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मगध प्रमंडल के उपरोक्त जिलों के इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु इंद्रपुरी बराज को मोरहर नदी (गया) से जोड़ने हेतु कोई ठोस योजना बनाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पारिश्रमिक भुगतान

***59 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के उपक्रमों और केंद्र सरकार के अभियानों, प्रोजेक्ट और कार्यक्रम में कार्यरत कर्मियों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इन कर्मियों को समय पर पारिश्रमिक का भुगतान भी नहीं होता है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में ऐसे दसियों हजार कर्मी हैं, जिन्हें महीनों से पारिश्रमिक, मानदेय और पारितोषिक का भुगतान नहीं हुआ है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या श्रम विभाग श्रम संहिता के तहत समय से पारिश्रमिक भुगतान के लिए अपेक्षित कदम उठाना चाहती है, यदि हां तो

कबतक, नहीं तो क्यों?

अपराधों पर नियंत्रण

***60 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल अरेस्ट को डकैती के समान माना है;

(ख) क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय ने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए फ्रेमवर्क बनाने का भी आदेश दिया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सदन को बताएगी कि विगत पांच वर्षों में राज्य में साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट के कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितने मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है और सरकार ऐसे अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का नाम पुनः अंकित

***61 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **योजना एवं विकास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पुलिस तंत्र जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है एवं जिलाधिकारी, बेगूसराय के तैनात रहते बेगूसराय जिले के अन्तर्गत हरपुर बेगूसराय बाबा स्थान जननायक जी के नाम से निवर्तमान विधायक राजकुमार सिंह के विधायक निधि से भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर लिखा गया लेकिन कुछ दबंगों द्वारा उस नाम को मिटा दिया गया;

(ख) क्या यह सही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वासवाली कानून की समावेशी सरकार के संबंधित पदधारक और संबंधित पदाधिकारी की नजर में भी भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति का अंकित नाम भी फब नहीं पाता है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के क्षेत्र में प्रकाशित पोस्टरों पर बढ़ता बिहार, विकसित

बिहार का सलोगन अंकित रहता है जिसे कोई भी नहीं मिटाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड-'क' पर अंकित भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का नाम बेगूसराय जिला प्रशासन द्वारा उसी स्थान पर पुनः अंकित कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

समस्याओं का निराकरण

***62 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि डॉ० भीमराव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय का मार्निंग सारणी सुबह 7:30 बजे से 5:00 बजे अप. तक है जबकि शिक्षा विभाग में मार्निंग समय सारणी 6:30 से 12:30 बजे अप० तक है;

(ख) क्या यह सही है कि आकस्मिक अवकाश / प्रतिबंधित अवकाश/क्षतिपूरक अवकाश आदि की स्वीकृति का अधिकार जिला कल्याण पदाधिकारी को दिया गया है जबकि शिक्षा विभाग में उक्त अवकाश की स्वीकृति का अधिकार विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पास है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों का स्थानांतरण संबंधित विद्यालय से 300-400 किलोमीटर की दूरी पर किया जाता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड क, ख एवं ग में वर्णित समस्याओं का निराकरण नियमानुसार करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नदियों को अतिक्रमण मुक्त

***63 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला से होकर गुजरने वाले खूरी, सकरी, धनार्जय,

तिलैया और ढाढर नदियों को भू-माफियाओं के द्वारा अतिक्रमण कर लेने के कारण नदियाँ विलुप्त होने की कगार पर आ गई हैं;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त नदियों के विलुप्त होने के कारण जलधारण क्षमता खत्म हो गई है जिससे आसपास के क्षेत्रों का भू-जल स्तर नीचे गिर रहा है और किसानों की हजारों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित हो रही है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में हजारों एकड़ भूमि सिंचाई योग्य बनाने हेतु उक्त सभी नदियों को अतिक्रमण मुक्त कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बसों का संचालन

***64 श्री राजीव कुमार उर्फ गप्पू बाबू (गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गोपालगंज से पटना के लिए सरकारी बस सेवा का घोर अभाव है तथा कटेया से पटना के लिए राज्य परिवहन निगम की एक बस एवं गोपालगंज से पटना के लिए अनुबंधित एक बस ही वर्तमान में संचालित है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना राज्य की राजधानी होने के कारण हजारों लोग प्रतिदिन गोपालगंज से पटना की यात्रा करते हैं;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपालगंज से पटना के लिए राज्य परिवहन निगम की पांच नई बसे संचालित कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जे. पी. सेनानियों को पेंशन

***65 श्री सोनु कुमार राय (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में जे.पी. सेनानियों के लिए वर्ष 2009 में पेंशन शुरू की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि अभी भी राज्य में आधा के करीब जे.पी. सेनानियों के आवेदन विचाराधीन हैं जिन्होंने सन् 1974 से लेकर 1977 तक जेल यातना या फरार रहे हैं, उन्हें पेंशन नहीं दिया गया है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जे. पी. सेनानियों के विचाराधीन आवेदन का निष्पादन कर पेंशन दिलाना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पुल का निर्माण

***66 श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सासाराम–आरा–पटना पथ से नोखा–राजपुर–नासरीगंज (श्रीखिंडा लाख) पर नए पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके पूर्ण होने के उपरांत इस मार्ग पर यातायात, विशेषकर भारी वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाएगा;

(ख) क्या यह सही है कि डेहरी–सकड्डी–सहर–नासरीगंज मार्ग से नोखा–राजपुर जाने वाले मार्ग पर स्थित पुल अत्यंत जर्जर अवस्था में है तथा बिहार सरकार द्वारा उक्त पुल पर "भारी वाहन वर्जित" का सूचना बोर्ड लगाया गया है, इसके बावजूद भारी वाहनों का आवागमन जारी है जिससे किसी भी समय गंभीर दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुल की तकनीकी एवं संरचनात्मक सुरक्षा की तत्काल जांच कराकर, आवश्यक होने पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रभावी रोक लगाएगी तथा जर्जर पुल के स्थान पर नए पुल के निर्माण हेतु योजना स्वीकृत कर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

कक्षाओं की समय-सारणी

*67 **श्री जीवन कुमार(शिक्षक गया) :**
श्रीमती रीना देवी(स्थानीय प्राधिकार : नालन्दा) :

क्या मंत्री, **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में वर्तमान समय-सारणी के अनुसार कक्षाएँ प्रातः 07:30 बजे से सायं 5:00 बजे तक संचालित की जाती है जिससे छात्रों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है;

(ख) क्या यह सही है कि सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के ज्ञापांक- 4681, दिनांक- 15.07.2016 के अनुसार इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम एवं समय-सारणी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राजकीय विद्यालयों के अनुरूप निर्धारित किया जाना है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिगत समय-सारणी में आवश्यक संशोधन कर उक्त विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन अधिकतम 2:00 बजे अप० तक कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पीरवां कब्रिस्तान की घेराबंदी

*68 **श्री अफाक अहमद खां (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिला अन्तर्गत गुरूआ प्रखंड के पंचायत रघुनाथपूर खाप के ग्राम पीरवां में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं हुई है;

(ख) क्या यह सही है कि पीरवां कब्रिस्तान की घेराबंदी वर्ष 2011 के प्राथमिकता सूचि में क्रमांक- 23 पर अंकित है;

(ग) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता ,अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल 01, गया

के पत्रांक -1570 दिनांक -07.06.2025 द्वारा प्रतिवेदन किया गया था कि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरांत कब्रिस्तान की घेराबंदी की जायेगी जिसे 23.03.2025 के दिशा की बैठक में भी इस मामले को उठाया गया था;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

CSR पोर्टल का संचालन

*69 **श्री सर्वेश कुमार (स्नातक दरभंगा):**

क्या मंत्री, **वित्त विभाग** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा “बिहार राज्य CSR नीति-2025” को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा CSR गतिविधियों के पारदर्शी एवं प्रभावी संचालन हेतु CSR पोर्टल प्रारंभ किया जा चुका है तथा उक्त पोर्टल पर कितनी कंपनियों, विभागों, जिलों एवं परियोजनाओं का पंजीकरण किया गया है तथा CSR मद में कितनी राशि की परियोजनाएँ स्वीकृत एवं क्रियान्वित की गई हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रभावी तंत्र विकसित कर रही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ग्रामीण आधारभूत संरचना, पर्यावरण संरक्षण एवं अन्य प्राथमिक क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएँ पोर्टल पर नियमित रूप से अपलोड हो तथा इच्छुक कंपनियाँ सीधे उन परियोजनाओं से जुड़ सकें;

(ग) क्या यह सही है कि CSR पोर्टल के पूर्ण लाभ के लिए विभागीय समन्वय, नियमित अनुश्रवण, परियोजनाओं के अद्यतन एवं सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी/CSR समन्वय तंत्र स्थापित कर राज्य के पिछड़े, आकांक्षी एवं विकासोन्मुखी क्षेत्रों की परियोजनाओं को CSR पोर्टल के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अवैध जबरन राशि पर रोक

*70 **श्री हरि सहनी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मत्स्य व्यवसायियों से मत्स्य परिवहन क्रम में अवैध जबरन राशि की उगाही की जा रही है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार सरकार, मुख्यमंत्री सचिवालय के ज्ञापांक-5540472/मु०मं०स० पटना, दिनांक- 17.02.2026 द्वारा संबंधित विभाग को अवैध जबरन राशि की उगाही पर रोक लगाने तथा किये गए कृत की सूचना मुझे उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित कर निदेशित किया गया था जो अभी तक अप्राप्त है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मत्स्य व्यवसायियों से मत्स्य परिवहन क्रम में अवैध जबरन राशि की उगाही पर रोक लगाने के संबंध में कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अधिकतम आयु सीमा

*71 **श्री वंशीधर ब्रजवासी (स्नातक तिरहुत):**

क्या मंत्री, **योजना एवं विकास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत 20 से 25 वर्ष आयु वर्ग के इंटरमीडिएट उत्तीर्ण शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार ढूंढने में मदद करने के उद्देश्य से मात्र दो वर्षों के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के रूप में ₹1000 प्रति माह बेरोजगारी देने का प्रावधान बनाया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि रोजगार ढूंढ पाने के लिए मात्र दो वर्षों का समय और ₹1000 की अत्यल्प राशि होने के कारण यह योजना अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है और योजना के प्रति युवाओं में उदासीनता है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकारी नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित है जिसकी अनदेखी करते हुए यह योजना बनाई गई है परिणामस्वरूप बेरोजगारों को रोजगार दिला पाने में यह योजना विफल सिद्ध हो रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष करते हुए भत्ता की राशि बढ़ाने और सरकारी नौकरियों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा तक इसे निर्वाध रूप प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

स्थानांतरण रद्द कबतक

*72 **प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव(शिक्षक पटना) :**
श्री जीवन कुमार(शिक्षक गया) :

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि विभाग की अधिसूचना सं०-3228 दिनांक 28.07.2017 में लेखा लिपिक संवर्ग 2017 के स्थानांतरण संबंधित किसी भी नियम का उल्लेख नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित अधिसूचना आदेश के विपरीत मुख्य अभियंता (यो०+ अनुश्रवण भूगर्भ) विभाग, पटना के ज्ञापांक 557 दिनांक 30.06.2022 द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मनमानेपन, स्वेच्छाचारिता व अनुचित तरीके से लेखा लिपिक का स्थानांतरण किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2025 में सरकार के उप सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के पत्रांक 4977 दिनांक 15.07.2025 में भी पुनः स्पष्ट आदेश निर्गत है कि 'विभागीय अधिसूचना सं० 3228 दिनांक 28.07.2017 द्वारा उक्त विभाग के लेखा लिपिक संवर्ग नियमावली 2017 गठित की गई है उक्त नियमावली में लेखा लिपिक संवर्ग के कर्मियों के स्थानांतरण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है फिर भी अभी तक लेखा लिपिक का स्थानांतरण रद्द नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विभागीय नियम के प्रतिकूल एवं अनुचित तरीके से लेखा लिपिक का किए गए स्थानांतरण को अविलंब रद्द करते हुए उक्त विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता एवं संबंधित दोषी कर्मियों को निलंबित करते हुए विभागीय नियमानुसार कठोर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

बांध का पक्कीकरण

***73 श्री अशोक कुमार पाण्डेय (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिलान्तर्गत उदेरा स्थान डैम से रूस्तमपुर के पूरब नालन्दा जिलान्तर्गत इसलामपुर होते हुए जाने वाली औगांरी वितरणी में ग्राम मोहिउद्दीनपुर (महदीपुर) के बघमरूआ खंदा में दो स्थानों पर लगभग 15 फीट नहर की पक्की बांध विगत वर्ष टूट गया है जिसकी मरम्मत ठीक ढंग से नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थान के 200 मीटर पहले भी (बुटहा खंदा के पास) नहर बांध एकदम से क्षतिग्रस्त है जो कभी भी टूट सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खंड 'क' एवं 'ख' में वर्णित स्थानों पर नहर के बांध का पक्कीकरण कार्य कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पईन का स्थायी समाधान

***74 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिला अंतर्गत पुनपुन प्रखंड में पहाड़ी-मसौढ़ी पथ (SH-01) के बेलदारीचक के पास अनुग्रह पांडे के घर से झड़हा पईन तक कचरा भर जाने के कारण वर्षा का पानी अवरुद्ध हो जाता है जिससे ग्रामवासियों का घरों से निकलना मुश्किल होता है;

(ख) यदि उपरोक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पईन का स्थायी समाधान कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अभ्यावेदन आधारित स्थानान्तरण

***75 श्री आफाक अहमद (सारण शिक्षक):**

क्या मंत्री, **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों का स्थानान्तरण / पदस्थापन सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि के उपरांत किया जाना अपेक्षित है किन्तु अनेक मामलों में छह माह अथवा एक वर्ष के भीतर भी स्थानान्तरण किए गए है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार शिक्षा विभाग की भांति अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के शिक्षकों के लिए स्पष्ट, पारदर्शी एवं समयबद्ध स्थानान्तरण नीति नहीं बनाई गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रस्तावित नीति में गृह जिला अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में पदस्थापन, पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक होने की स्थिति में यथासंभव एक ही स्थान/निकटतम स्थान पर पदस्थापन, न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा अवधि के उपरांत स्थानान्तरण तथा अभ्यावेदन आधारित स्थानान्तरण का प्रावधान कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

निबंधन शिविर का आयोजन

***76 श्री दिलीप कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, औरंगाबाद):**

क्या मंत्री, **श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य सहित औरंगाबाद जिला अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों की पंचायतों में बड़ी संख्या में असंगठित क्षेत्र के मजदूर कार्यरत हैं जो श्रम विभाग द्वारा संचालित जनकल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समुचित जानकारी के अभाव तथा श्रम कार्ड/निबंधन न होने के कारण इन योजनाओं का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में राज्य सहित औरंगाबाद जिला के सभी प्रखंडों की पंचायतों में विशेष जागरूकता सह श्रमिक

निबंधन शिविर आयोजित कर आम मजदूर जनता का ऑन-द-स्पॉट (On-the-spot) निबंधन कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

आर्म्स लाइसेंस निर्गत

***77 श्री संतोष कुमार सिंह (स्थानीय प्राधिकार, रोहतास एवं कैमूर):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पंचायत के त्रि-स्तरीय जनप्रतिनिधियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में कभी-कभी विषम परिस्थितियों में भी भ्रमण करना होता है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पूर्व में घोषणा की गयी थी कि सभी जनप्रतिनिधियों को सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से आर्म्स लाइसेंस निर्गत किया जाएगा;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पंचायत के त्रि-स्तरीय जनप्रतिनिधियों सहित अन्य जन-प्रतिनिधियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनिवार्य रूप से आर्म्स लाइसेंस निर्गत करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को आदेश देना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कार्ययोजना तैयार

***78 श्री संजय सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बिहार में 45 नए डॉ. भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है तथा इन विद्यालयों में 1048 प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो कृपया जिला एवं प्रखंडवार यह बताने की कृपा करें कि किन-किन स्थानों पर ये नए विद्यालय स्थापित किए जाएंगे तथा प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता

कितनी होगी;

(ग) क्या यह सही है कि इन विद्यालयों में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, सफाईकर्मियों, माली एवं अन्य आवश्यक कर्मियों की नियुक्ति समयबद्ध तरीके से की जाए ताकि विद्यालयों का संचालन बिना किसी विलंब के प्रारंभ हो सके;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष जिलों एवं प्रखंडों में नए डॉ. भीमराव आंबेडकर आवासीय विद्यालय खोलने की कार्ययोजना तैयार करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अद्यतन विवरण

*79 **डा. भारती मेहता (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए डॉ. अंबेडकर कल्याण छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन छात्रावासों में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क आवास, भोजन, पुस्तकालय, डिजिटल अध्ययन की सुविधा तथा निर्धारित दर से मासिक छात्रवृत्ति/अनुदान उपलब्ध करायी जाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार राज्य में संचालित सभी डॉ. अंबेडकर कल्याण छात्रावासों का जिलावार विवरण, उनकी स्वीकृत एवं संचालित क्षमता, अब तक लाभान्वित छात्र-छात्राओं की संख्या, वर्तमान में आवासित छात्र एवं छात्राओं की संख्या तथा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अद्यतन विवरण से सदन को अवगत कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कटाव की रोकथाम

***80 श्री घनश्याम ठाकुर (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के मधवापुर प्रखंड में नेपाल से निकलने वाली धाउस (धौस) नदी एवं बछराजा नदी में हो रहे भयंकर कटाव के कारण मधवापुर, रामपुर सहित दर्जनों गाँवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है और स्थानीय जनता अत्यंत भयभीत एवं आक्रोशित है;

(ख) क्या यह सही है कि हाल ही में मधवापुर में नदी के तेज कटाव के कारण एक बच्चे (मो० तनवीर, पिता मो० जफीर) की दुखद मृत्यु हो चुकी है और नदियों में गाद (Silt) जमा होने के कारण बाढ़ एवं कटाव की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार धाउस एवं बछराजा नदी में हो रहे इस तीव्र कटाव की तत्काल रोकथाम हेतु ठोस उपाय करने, नदियों से गाद की सफाई कराने तथा मृतक के परिवार को अविलंब उचित मुआवजा देना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

ओ०पी० थाना की स्थापना

***81 श्री बिनोद कुमार जयसवाल (स्थानीय प्राधिकार, सीवान):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है सिवान जिले के हुसैनगंज थाना के अन्तर्गत गोपालपुर नगर पंचायत में कोई ओ०पी० थाना नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि गोपालपुर नगर पंचायत में ओ०पी० थाना नहीं रहने के कारण पंचायत में अपराधियों पर कोई अंकुश नहीं है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत के नागरिकों को पुलिस की मदद लेने में काफी कठिनाई होती है;

(घ) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गोपालपुर नगर पंचायत में ओ०पी० थाना की स्थापना करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

***82 मोहम्मद खालिद अनवर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिलांतर्गत कुढ़नी अंचल के मौजा-सोनबरसा साह (थाना नं०-811, खाता संख्या-528, खेसरा संख्या-2873 एवं 2874) स्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य अनुमण्डल प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की उपस्थिति में दिनांक 13.06.2026 को प्रारंभ किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि स्थानीय अंचल एवं पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों को थाने में बैठाकर आपसी सहमति कराने के उपरांत ही उक्त स्थल पर शांतिपूर्ण ढंग से घेराबंदी का कार्य शुरू कराया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि कार्य प्रारंभ होने के मात्र 13 दिनों के बाद ही दिनांक 25.06.2026 को प्रशासन द्वारा कथित राजनीतिक दबाव अथवा अन्य कारणों से इस घेराबंदी के कार्य को अचानक बीच में ही रोक दिया गया, जिसके फलस्वरूप निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है और स्थानीय अल्पसंख्यक समाज में भारी असंतोष एवं बेचैनी व्याप्त है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाए रखने तथा जन-असंतोष को समाप्त करने के उद्देश्य से उक्त कब्रिस्तान की अधूरी घेराबंदी के कार्य को पुनः प्रारंभ कराकर पूर्ण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

नलकूप एवं नाले का निर्माण

*83 **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के अधराठाढी प्रखंड के गोनोली पंचायत का एक मात्र नलकूप विद्युत खराबी के कारण बंद पड़ा है;

(ख) क्या यह सही है कि इस सुखाड़ के मौसम में नलकूप के भरोसे किसान हाथ पर हाथ धर कर बैठे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त नलकूप का नाला ध्वस्त हो चुका है जिससे किसानों को पटवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त नलकूप को निर्बाद्ध विद्युत आपूर्ति करते हुए यथाशीघ्र चालू कराने एवं पक्के नाले का निर्माण कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना – 800015

23 जुलाई, 2026

शंकर कुमार,
प्रभारी सचिव
बिहार विधान परिषद्